



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26062021-227906
CG-DL-E-26062021-227906

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2361]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 25, 2021/आषाढ़ 4, 1943

No. 2361]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 25, 2021/ASHADHA 4, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2021

का.आ. 2542(अ).—केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम] 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इस के पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 408(अ). तारीख 22 जनवरी 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र सं.-373 तारीख 28 जनवरी 2021, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बाडमेर (राजस्थान) से पालनपुर (गुजरात) तक बाडमेर-पालनपुर पाइपलाइन के माध्यम से तैयार पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन के लिए राजस्थान राज्य में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 20 अप्रैल 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केंद्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है,

अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए,

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाए सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील-सिणधरी

जिला-बाडमेर

राज्य-राजस्थान

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	दाखां	407	00	12	31
		कुल	00	12	31
2	धनवा	370	00	16	04
		370/1			
		372	00	03	28
		कुल	00	19	32
3	जूना मीठा खेडा	399	00	01	08
		476	00	08	58
		629	00	08	82
		कुल	00	18	48

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2020-ओआर-1/ई-34574]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2021

S.O. 2542(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 408(E) Dated 22 January 2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette No. 373 of India dated the 28 January 2021, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of finished petroleum product in the state of Rajasthan through Barmer Palanpur Pipeline from Barmer (Rajasthan) to Palanpur (Gujarat), by Hindustan Petroleum Corporation Limited.

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public by 20th April 2021

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

TEHSIL: SINDHARI

DISTRICT: BARMER

STATE: RAJASTHAN

S.No.	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq. m.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Dakha	407	00	12	31
		Total	00	12	31
4	Dhanwa	370	00	16	04
		370/1	00	03	28
		Total	00	19	32
6	Joona Meetha Kheda	399	00	01	08
		476	00	08	58
		629	00	08	82
		Total	00	18	48

[F. No. R-11025(15)/11/2020-OR-I/E-34574]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2021

का.आ. 2543(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 407 (अ) तारीख 22 जनवरी 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 373 तारीख 28 जनवरी 2021, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बाड़मेर (राजस्थान) से पालनपुर (गुजरात) तक बाड़मेर-पालनपुर पाइपलाइन के माध्यम से तैयार पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन के लिए राजस्थान राज्य में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 22 अप्रैल 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील- पचपदरा

जिला-बाडमेर

राज्य-राजस्थान

क्रम. सं	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
			हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	कलावा	480	00	12	73
		861/475	00	13	00
		863/475	00	13	00
		860/475	00	13	00
		कुल	00	51	73
2	तिलवाडा	315	00	06	45
		491/316	00	12	99
		475/326	00	12	64
		833/364	00	34	46
		249	00	56	67
		853/369	00	15	30
		852/369	00	22	21
		524/234	00	11	21
		455/234	00	10	99
		कुल	01	82	92
3	पनोतरी नाडी	670	00	18	96
		कुल	00	18	96

[फा. सं. आर-11025(15)/11/2020-ओआर-1/ई-34574]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2021

S.O. 2543(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas S.O. No. 407(E) Dated 22 January 2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 28 January 2021, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of finished petroleum product in the state of Rajasthan through Barmer Palanpur Pipeline from Barmer (Rajasthan) to Palanpur (Gujarat), by Hindustan Petroleum Corporation Limited;

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public by 22 April 2021;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE**TEHSIL : PACHPADRA****DISTRICT: BARMER****STATE: RAJASTHAN**

S.No.	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kalawa	480	00	12	73
		861/475	00	13	00
		863/475	00	13	00
		860/475	00	13	00
		Total	00	51	73
2	Tilwada	315	00	06	45
		491/316	00	12	99
		475/326	00	12	64
		833/364	00	34	46
		249	00	56	67
		853/369	00	15	30
		852/369	00	22	21
		524/234	00	11	21

		455/234	00	10	99
		Total	01	82	92
3	Panotari Nadi	670	00	18	96
		Total	00	18	96

[F. No. R-11025(15)/11/2020-OR-I/E-34574]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.